

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

पी. सी.-VI सं. ---145---
आर. बी. ई. सं. ---166---

सं. ई (पी एंड ए) I-2009/सी पी सी/एल ई-11

नई दिल्ली, दि. 11 .09.09

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय : बाल दत्तक ग्रहण छुट्टियों को 135 से बढ़ाकर 180 दिन करना और गोद लेने वाले पिता को पैतृत्व अवकाश की सुविधा मुहैया कराना।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दि. 18.5.2006 का पत्र सं. ई (पी एंड ए) I-2006/सी पी सी/एल ई-1.

कृपया इस कार्यालय के उपर्युक्त पत्र का अवलोकन करें जो नैसर्गिक माता को स्वीकार्य मातृत्व अवकाश के समान, एक महिला रेल कर्मी को एक वर्ष तक की आयु के शिशु को गोद लेने पर 135 दिन की बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी को मंजूरी प्रदान करने के बारे में है। छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद, मातृत्व अवकाश को 135 से बढ़ाकर 180 दिन तक कर दिया गया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा मातृत्व अवकाश के समान बाल दत्तक ग्रहण छुट्टियों की अवधि को 135 से बढ़ाकर 180 दिन करने के अनुरोध के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद बाल दत्तक ग्रहण छुट्टियों को 135 से बढ़ाकर 180 दिन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

2. बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया है कि बाल दत्तक ग्रहण छुट्टियों की अवधि को 135 से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाए. एक महिला रेल कर्मी जिसकी इन आदेशों के जारी होने तक बाल दत्तक ग्रहण छुट्टियों की 135 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई हैं, वह भी 180 दिनों की बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी पाने की पात्र होगी।

3. यह भी विनिश्चय किया गया है कि दो जीवित बच्चों से कम बच्चे वाले एक पुरुष रेल कर्मी (प्रशिक्षु सहित) को एक वर्ष से कम आयु के शिशु को विधिमान्य रूप से गोद लेने पर, विधिमान्य रूप से गोद लेने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर 15 दिनों का पैतृत्व अवकाश मंजूर किया जा सकता है।

4. ये आदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे और इसमें रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति प्राप्त है।

5. तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सहर्ष निदेश देती हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I 1985 संस्करण (द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण-2003) के नियम 551 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 109 के अनुसार संशोधित किया जाए।

संलग्नक - एक

—ए.ए.ए. 11
(चंद्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) I-2009/सी पी सी/एल ई-11

नई दिल्ली, दि. 11 .09.09

- 1) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, सभी क्षेत्रीय रेलें.
- 2) उप नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई (पी एंड ए) I-2009/सी पी सी/एल ई-11

नई दिल्ली, दि. 11 .09.09

प्रतिलिपि विस एवं मुलेधि, सभी क्षेत्रीय रेलवे तथा उत्पादन इकाइयां आदि को प्रेषित

(चंद्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक स्था. (वे. एवं भ.)

रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) I-2009/सी पी सी/एल ई-11

नई दिल्ली, दि. 11 .09.09

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. महासचिव/एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां).
2. महासचिव/एआईआरएफ, 4 स्टेट एन्ट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां).
3. विभागीय परिषद/राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फ़िरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां).
4. महासचिव, एफ़आरओए, कमरा नं. 256ए एवं 268, रेलवे बोर्ड .
5. सचिव, आर बी एस एस ग्रुप 'ए' अधिकारी संघ.
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन.
7. महासचिव, आई आर पी ओ एफ.
8. अध्यक्ष, भारतीय रेल क्लास-II आफिसर्स एसोसिएशन.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी संघ
11. महासचिव, ए आई आर पी एफ ए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली
12. महासचिव, अखिल भारतीय अज/अजजा रेलकर्मी संघ, कमरा नं. 8, भू तल, रेल भवन, नई दिल्ली.
13. महासचिव, सेवानिवृत्त रेल कर्मी कल्याण संघ (पंजी), 490 ए/16, गुरुद्वारा रोड, लखनऊ.
14. मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा, 16, अशोक रोड, लखनऊ.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

PC-VI No. 145
RBE No. 166

New Delhi, dt. 11-09-2009

No.E(P&A)I-2009/CPC/LE-11

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units, etc.

**Sub: Enhancement of Child Adoption Leave from 135 days to 180 days
and extension of the facility of Paternity Leave to adoptive fathers.**

Ref: Railway Board's letter No.E(P&A)I-2006/CPC/LE-1 dated 18.5.2006

Please refer to this office letter cited above regarding grant of Child Adoption Leave for 135 days to a female railway servant on adoption of a child upto the age of one year, on the lines of maternity leave admissible to natural mother. After implementation of the 6th Central Pay Commission's recommendations, the period of maternity leave was enhanced from 135 days to 180 days. The Department of Personnel & Training on consideration of representations requesting for enhancement of the period of Child Adoption Leave from 135 days to 180 days in line with the maternity leave, have issued orders enhancing the period of Child Adoption Leave from 135 days to 180 days.

2. The matter has been considered by the Board and it has been decided to enhance the period of Child Adoption Leave on the Railways from 135 days to 180 days. A female railway servant in whose case the period of 135 days of Child Adoption Leave has not expired on the date of issue of these orders shall also be eligible for Child Adoption Leave of 180 days.

3. It has also been decided that a male railway servant (including an apprentice) with less than two surviving children, on valid adoption of a child below the age of one year, may be sanctioned Paternity Leave for a period of 15 days within a period of six months from the date of valid adoption.

4. These orders shall take effect from the date of issue of this letter and have the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 551 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 Edition (Second Reprint Edition-2003) may be amended as in the enclosed Advance Correction Slip No. 109.

DA: One


(Chander Parkash)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board

New Delhi, dt. 11-09-2009

No.E(P&A)I-2009/CPC/LE-11

1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224 Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

**ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT
CODE, VOLUME-I, 1985 EDITION (Second Reprint Edition – 2003)**

Advance Correction slip No. 109

Rule 551 of the I.R.E.C. Vol.I, 1985 Edition(Second Reprint Edition-2003)
may be amended as under:-

1. The figure '135 days' appearing in the second line of sub-rule 551(C) may be substituted with the figure '180 days'.
2. A new sub-rule may be inserted below sub-rule 551(C) as sub-rule 551(D) as indicated below:-

551(D)-Paternity Leave on adoption of a child

A male railway servant (including an apprentice) with less than two surviving children, on valid adoption of a child below the age of one year, may be sanctioned Paternity Leave for a period of 15 days within a period of six months from the date of valid adoption.

(Authority :- Railway Board's letter No.E(P&A)I-2009/CPC/LE-11, dated ~~11-09~~ 2009.)